

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू०पी० (एस) संख्या 6430 वर्ष 2010

अलका सुमन

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

ए०जी०एम०, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए: कोई नहीं।

उत्तरदाता बैंक के लिए: कोई नहीं।

वी०सी० के माध्यम से:

6 / 02.08.2021 बार—बार पुकार के बाद भी पक्षों की ओर से कोई उपस्थितनहीं हुए।_दिनांक 22.07.2021 का आदेश वी०सी० के माध्यम से सुना।

2. बार—बार पुकार के बाद भी याचिकाकर्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं हुए।
3. यह मामला अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे रिट आवेदन दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ता के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में कोई दिलचर्सी नहीं है।

4. जैसा कि यह हो सकता है, चूंकि यह मामला एक लंबे अंतराल के बाद सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए इस मामले को 02.08.2021 को रखें।
3. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और यहां तक कि अन्यथा मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 13 साल की अवधि के बाद काई अनुकंपा नियुक्त नहीं दी जा सकती है।
4. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस रिट आवेदन को संचालित नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया है।

(दीपक रोशन, न्याया०)